

**EXTRAORDINARY** 

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1192]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2010/ज्येष्ठ 21, 1932

No. 1192]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2010/JYAISTHA 21, 1932

## सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2010

का.आ.1416(अ).—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जून, 2010 के 11वें दिवस को वह तिथि निर्धारित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

[सं. एम-15011/1/2007-प्रशा. III] अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2010

S.O. 1416(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), the Central Government hereby appoints the 11th of June, 2010 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. M-15011/1/2007-Admn. III]

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.